UPHR010018352019

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश SC/ST (P.A.) Act, हरदोई।

विशेष परिवाद संख्या– 159/2019

रामस्वरूप प्रति छुन्दन सिंह, आदि

अंतर्गत धारा–323, 504 IPC
& 3(1)(r) SC/ST (P.A.) Act
थाना– बघौली, जिला हरदोई

दिनांकः 22-08-2026

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी निरन्तर अनुपस्थित। अभियुक्तगण अनुपस्थित। अभियुक्त छुन्दन सिंह उपस्थित।

प्रस्तुत परिवाद में आदेश दिनांकित 02.02.2021 के माध्यम से अभियुक्तगण छुन्दन सिंह, छोटे सिंह, रामबाबू सिंह एवं अमित कुमार सिंह के विरूद्ध अंतर्गत धारा 323/34, 504, 506 भा०दं०सं० व 3(1)(r) SC/ST (P.A.) Act आरोप विरचित हुआ तथा पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत चली आ रही है किन्तु परिवादी साक्ष्य हेतु उपस्थित नही आ रहा है।

प्रस्तुत प्रकरण में आदेश दिनांकित 12.02.2020 के माध्यम से अभियुक्तगण को विचारणार्थ आहूत किया गया है। परिवादी अन्तिम बार दिनांक 12.03.2020 को उपस्थित आया था। इस प्रकार परिवादी लगभग 6 वर्षों से अनुपस्थित चल रहा है। परिवाद कार्यवाही में साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व परिवादी का होता है, जिसका निर्वहन परिवादी द्वारा नही किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी प्रस्तुत परिवाद में अग्रेतर कार्यवाही की इच्छुक नही है। अतः परिवादी साक्ष्य का अवसर समाप्त कर, अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

आदेश

परिवादी के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है। अभियुक्तगण छुन्दन सिंह, छोटे सिंह, रामबाबू सिंह एवं अमित कुमार सिंह को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3(1)(r) SC/ST (P.A.) Act से दोषमुक्त किया जाता है। बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार संग्रहीत अभिलेखागार हो।

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act,
हरदोई
ID– UP1574

Digitally signed by GYANENDRA TRIPATHI
Date: 2026.08.22 15:35:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court